DEMANDS FOR GRANTS (1967-68)—*contd.*

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION—*contd.*

Mr. Speaker: Coming to the debate on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Food and Agriculture, about three hours are now left. No member from the PSP has spoken so far. There are also other friends who have not spoken; I have got the names; for instance, the Swatantra Member, Mr. Gadilingana Gowd, has to speak. The Jan Sangh has also got about 18 minutes or so. The other parties also have got some time; the SSP has got about 4 minutes. The Congress men also have got some time; three or four Congress members will also speak. But not even one member from tht PSP has spoken so far.

Mr. Lakhan Lal Kapoor.

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : अध्यक्ष महोदय इस फूड एग्रीकलचर, कम्युनिटी डेवलपमैंट एंड कोआपरेशन पर जो डिस्कशन चल रहा है उस में दो राज्य मंत्रियों ने ही डेढ़ दो घंटे से अधिक ले लिया है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर समय बढ़ाया जाय ताकि कम से कम हर एक प्रान्त के प्रतिनिधि को बोलने का मौका मिल सके . . .

Mr. Speaker: Will he please sit down I have heard him.

श्री तुलशीदास जाधव : मेरी प्रार्थना यह है कि इस पर बहुत से बोलने वाले हैं इसलिए इस पर दो ढ़ाई घंटे का समय और बढ़ाया जाय । हम में से बहुत सारे लोग इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए विशेष रूप से बाहर से यहां इस मौके पर आये हैं . . .

Mr. Speaker: It is clearly understood. Yesterday also he made that point. Only to make speeches, if he wants an extension of two hours, he will lose the debate on the Demands in respect of External Affairs Ministry and other Ministries. It is not the Speaker who will lose anything, but the members will lose the debate on the Demands of External Affairs Ministries and the other Demands.

Mr. Lakhan Lal Kapoor.

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय अभी यह यहां की परिपाटी रही है कि अगर कोई डिरेलमैंट हो जाता था तो रेलवे मिनिस्टर महोदय उस बारे में हाउस में स्टेटमेंट दिया करते थे . . .

Shri P. K. Deo (Kalahandi): He is raising it just to elimite information. I do not know why you are giving him indulgence.

Mr. Speaker: Mr. Tiwary may please sit down. That is a point of information and not point of order.

Mr. Lakhan Lal Kapoor may start speaking.

श्री लक्षण लाल कपूर (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय सुनने में तो यह बड़ा ही मधुर लगता है कि भारत कृषि प्रधान देश है परन्तु दुख इस बात को देख कर होता है कि खेतों में लगे 76 प्रतिशत: जनसंख्या वाला भारत कुल जनसंख्या के 6 प्रतिशत: खेती करने वाले देश अमेरिका के सचिवालय के दरवाजे पर बारों मास भीख की झोली फैलाये खड़ा दिखाई पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता को प्राप्त किये बीस वर्ष का एक लम्बा अरसा गुजर गया पर आज तक हम किसी एक मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाये । हम किसी एक भी समस्या को हल नहीं कर सके हैं ।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है सिंचाई की योजनाओं पर अभी तक जितना रुपया

खर्च किया गया है वह नाकाफी है और सिंचाई के लिए भी हम आज तक आत्म-निर्भर नहीं हो सके हैं। पिछली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में कृषि पर जो रुपया खर्च किया गया है वह भी नगण्य है। अभी तक सिंचाई पर कुल 1250 करोड़ रुपया खर्च किया गया जबकि तीन योजनाओं पर 18000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैं समझता हूं कि तीन योजनाओं के फलस्वरूप जो हमारे सामने नतीजा आया है उस के अनुसार करीब करीब 12 फीसदी रुपया कृषि और सिंचाई पर खर्च किया गया है। यह तो वही हुआ कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया।

जहां तक भूमि सुधार का प्रश्न है मुझे यह समझ में नहीं आता कि आजादी के 20 वर्ष हो गये हैं और हमारे सामने खाद्य की समस्या एक मौत बन कर खड़ी है लेकिन फिर भी हम ने भूमि सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भूमि सुधार के अन्तर्गत जहां तक धरती का बंटवारा है उस धरती के बंटवारे के सम्बन्ध में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है जबकि नेशनल सैम्पुल सर्वे के कथनानुसार भारत के अन्दर खेतों में लगे 75 फीसदी लोगों के पास कुल 10 प्रतिशतः धरती है। 50 फीसदी छोटे किसानों के पास तो कुल 3 प्रतिशतः धरती है जबकि 20 प्रतिशत अमीर किसानों के पास 75 प्रतिशतः है। ऐसी हालत के मौजूद रहते देश में जो भयंकर गरीबी व कृषि संकट है उस का हल नहीं निकल सकता है। आखिर इस देश के अन्दर कब तक यह सामाजिक न्याय होगा? उन गरीबों को जमीन कब मिलेगी? कब तक भूमिहीनों को जमीनों का अधिकार मिलेगा? खेतिहर मजदूरों को मिलिकियत कब मिलेगी? यह दो तरह की नीति कब तक चलती रहेगी कि कुछ लोग इस तरीके से इस देश के गरीबों की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाते रहे और जो इस देश की 80 फीसदी आबादी है वह इस तरीके से दाने-दाने को मुहताज रहेगी? कब तक इस का फैसला होगा? मैं समझता हूं कि आज देश के अन्दर एक क्रान्तिकारी भावना पैदा हो रही है अन्न संकट को लेकर मूल्यों को लेकर और मंहगाई को लेकर, और एक भयंकर क्रान्ति की भावना देश में फैल रही है और यदि अभी से उस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर उस को सम्भालना मुश्किल हो जायगा।

जहां तक भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों का प्रश्न है एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी ने सन 1950 में कहा था कि कृषि सुधार की किसी योजना में खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा करनी देश की कृषि व्यवस्था में एक रिसते घाव को बहते रहने देना है। किन्तु भमिहीन किसानों की हालत यह है कि लगभग 16 प्रतिशतः बिलकुल बेकार रहते हैं। 1951–57 के बीच उन की आय 11 प्रतिशतः गिर गई है जबकि परिवार के व्यक्तियों की संख्या 4.3 से बढ़ कर 5.4 हो गई है। पिछली तीन योजनाओं में उन के बसाने के लिए 1.5 करोड़, 5 करोड़ और 8 करोड़ रुपया दिया गया। इस तरह से कुल मिला कर देखा जाय तो इन 15 वर्षों में कुल 18.5 करोड़ रुपया हुआ जो कि खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिए रक्खा गया था। इन तीनों योजनाओं के लगभग 18,000 करोड़ रुपये के खर्च में लगभग 0.1 प्रतिशतः दरअसल खर्च किया गया है। इस तरह मैं समझता हूं कि न तो गरीबी का अन्त हो सकता है और न ही जो खाद्य के उत्पादन की शक्ति गरीबों में है उसके साथ में ही कोई न्याय हो सकता है। इसलिए इस न्याय को करने के लिए सरकार को तुरन्त सक्रिय कदम उठाने होंगे।

इस सम्बन्ध में मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर 30 मिलियन एकड़ जोत के लायक भूमि है जिसमें केवल 20 मिलियन भूमि में खेती होती है। बाकी 10 मिलियन एकड़ जमीन परती

[श्री लक्षण लाल कपूर]

पड़ी हुई है। उसी बिहार में करीब 30–32 लाख ऐसे खेतिहर मजदूर हैं जिन के पास रहने लायक भी जमीन नहीं है। आखिर जो जमीन परती पड़ी हुई है उस को खेतिहर मजदूरों में क्यों नहीं बंटवा दिया जाता है ? अगर यह भूमि किसानों को दी जाती है तो ऐसा करने से उत्पादन में वृद्धि होगी।

इस के अलावा सरकार के सामने एक योजना होनी चाहिये कि जो अन्न संकट देश के सामने है उस को एक औद्योगिक नीति खेती के सम्बन्ध में बना कर हल किया जाये। खेती को औद्योगिक आधार पर चलाया जाना चाहिये। इस के लिये एक भूमि सेना का निर्माण करना चाहिये और रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्री और फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जो जमीन है और परती पड़ी हुई है, उस को ले कर वहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग इस भूमि सेना की मार्फत की जा सकती है।

जहां तक किसानों को उधार देने का प्रश्न है, उस के अन्दर उन को पैसा नहीं मिलता है। जो लोग सरकारी कर्ज लेते हैं उन को 500–1000 रुपयों के लिये भी दर्जनों आफिसर्स के पास जाना पड़ता है और महीनों दौड़ना पड़ता है। उस 1,000 रु० के लेने में उन को 200–300 रु० अपने पास से खर्च करने पड़ते हैं। उन्हें सहूलियत से कर्ज नहीं मिलता है, इस लिये वह खेती पर पूंजी नहीं लगा सकते हैं। जहां तक बैंकों का सवाल है, उन्हें बैंकों से भी पैसा नहीं मिलता है। इस लिये बैंकों से तो अनाज का व्यापार करने वालों और सट्टेबाजों को ही पैसा मिल पाता है। बिहार में 1963–64 में किसानों को बैंकों से 3 फीसदी कर्जा मिला वहां उसी वर्ष में उद्योगपतियों को 57 फीसदी कर्जा मिला है। इस तरह की औद्योगिक नीति चला कर हम देश का उद्धार नहीं कर सकते हैं। इस लिये किसानों को बैंकों से रुपया दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये, और सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है उस के लिये भी कोई सीधा सादा उपाय होना चाहिये कि किसान एप्लाई करे और उस को तुरन्त पैसा मिल जाये। इस से उन को कुछ राहत मिलेगी।

मैं चाहता हूं कि सारे देश के लिये एक नेशनल फूड पालिसी बनाई जाये। नेशनल फूड बजट होना चाहिये। साथ साथ फूड का ट्रेड एक कारपोरेशन के माध्यम से सारे देश में चलाया जाये। सारे देश में यूनिफार्म तरीके से राशनिंग लागू करना चाहिये और जो जोनल सिस्टम है उस को खत्म किया जाये। मैं नहीं समझता कि जब यहां किसी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी दल को आपत्ति नहीं है जोनल सिस्टम को खत्म करने पर, तो उस को लागू रखने से क्या फायदा है। इस से तस्कर व्यापार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है और जो डेफिसिट प्रान्त हैं उन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्लाथ का कंट्रोल होना चाहिये और क्राप और कैटल इश्योरेंस होना चाहिये, जिस से लोगों को राहत मिल सके।

अब मैं कुछ चीनी के बारे में कहना चाहता हूं। आज बिहार में चीनी उद्योग संकट से गुजर रहा है। करीब करीब 12 फैक्ट्रियां बन्द होने वाली हैं। उस का जो भाव आज दिया जाता है वह बहुत कम है। इस की वजह से आज वहां के किसान और दूसरी चीजों का उत्पादन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और गन्ने की कीमत कुछ बढ़ाये। कम से कम 4 रु० प्रतिमन गन्ने का दाम करने से कुछ सहूलियत किसानों को मिल सकती है। इस से जो गन्ने की मिलें हैं वह चालू रह सकती हैं और यह संकट दूर हो सकता है।

इसी तरह से पाट के बारे में कहना चाहता हूं। पाट के ऊपर आज मिनिमम प्राइस फिक्स करनी चाहिये। आज जो उत्पादक हैं उनके सामने संकट है और किसान लोग पाट की खेती छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन को उचित कीमत नहीं मिलती। वे बड़े उद्योगपतियों के शिकार हो रहे हैं। उस की मिनिमम प्राइस कम से कम 60 रु० सरकार की तरफ से फिक्स होनी चाहिये। तभी पाट का काम आगे चल सकता है।

जहां तक विकास खंडों का सवाल है, मैं नहीं समझता कि उस से ग्राम का विकास होता है। ग्राम विकास खंड आज राजनीति के अड्डे बने हुए हैं। जितना भी रुपया इन के ऊपर पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया गया है, मैं नहीं समझता कि उस से किसी तरह का लाभ ग्राम-जीवन को पहुंचा है। उन के द्वारा किसी तरह का विकास हुआ है यह मैं नहीं मानता हूं। इस लिये उन को खत्म किया जाना चाहिये। जितनी जल्दी वह समाप्त होते हैं उतनी जल्दी ग्राम-जीवन सुखी बन सकता है और प्रगतिशील बन सकता है, नहीं तो उन का जीवन दूभर होने जा रहा है।

13 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION—*Contd.*

श्री तुलशीदास जाधव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी स्पीकर साहब से हमने बात की है। आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस फूड की बहस का जो समय है इसको आप आज छः बजे से सात बजे तक बढ़ा दें। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। 22 तारीख तक ये डिमांड्ज चलने वाली हैं। अगर आज आप यह फैसला कर दें कि छः बजे से सात बजे तक और इस पर बहस चलेगी तो एक घंटा और मिल जाएगा और इससे कोई अन्तर भी नहीं पड़ेगा। बाकी डिमांड्ज के लिए जो समय है वह भी कम नहीं होगा।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मैं भी वहां मौजूद था। स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर आप लोग छः बजे से सात बजे तक बैठना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: The private Members' business will conclude at 5.30. There is half-an-hour discussion. I will convey your request to the Speaker and if I get his concurrence, I will follow it. The question of quorum will always arise.

Now, Shrimati Nirlep Kaur—absent. Shrimati Jayaben Shah.

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, फूड डिबेट पर तीन दिन से बहस चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट में खत्म करें।

श्रीमती जयाबेन शाह : पंद्रह मिनट तो दें। फूड आज हमारे लिए सब से ज्यादा चिन्ता का विषय बन गया है। सारे देश में फूड शार्टेज है। इस शार्टेज का क्या कारण है? इसकी तफसील में, इसके कारणों की हमें खोज करनी होगी। हमें सारे देश की एग्रिकलचर की जो हालत है उसको देखना होगा। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश में जो छोटे से छोटा किसान है उसकी

[श्रीमती जयाबेन शाह]

क्या हालत है, इसको हमें देखना होगा, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, इसको हमें देखना होगा । कितना उसको हम मजबूत कर सकते हैं, इसका उपाय हमें करना होगा । अगर हमने इसको किया तभी हमारे देश में पैदावार बढ़ सकती है अन्यथा नहीं । इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें सोचना होगा और काम करना होगा ।

यह बात सही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है और लोग भूखों मर रहे हैं । लेकिन हमें देखना होगा कि यह हालत पैदा क्यों हुई । यह कहा जाता है कि दो साल से वहां ड्राउट पड़ा हुआ है । यह सही भी है । लेकिन वास्तविक जो स्थिति वहां की है उसको भी हमें आंखों से ओझल नहीं करना चाहिये । वास्तविक स्थिति यह है कि वहां पर हाफ नेकिड, हाफ स्टार्व्ड लोग रहते हैं । वहां लोगों की हालत बहुत खराब है । वहां की जो खेती है वह बहुत पिछड़ी हुई है । वहां पैदावार बहुत कम होती है । किसान को वहां बहुत कम मदद मिलती है ।

लैंड रिफार्म की जो बात है वह बुनियादी बात है । वह सब से बुनियादी चीज है । अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो सारे देश में हमें लैंड रिफार्म्ज के पीछे पड़ना होगा । जब तक किसान यह अनुभव नहीं करेगा, जब तक उसको इस बात का एहसास नहीं होगा कि जो काम वह करता है, उसका जो परिणाम है, वह उसको मिलने वाला है, उसका जो लाभ है वह उसको प्राप्त होने वाला है और वह जिस जमीन को जोतता है वह उसकी जमीन है, तब तक पैदावार का बढ़ना बहुत मुश्किल है । मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहती हूं कि सारे देश में इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये ताकि जो छोटे से छोटा किसान है, जो मजदूर हैं उसकी खेती अच्छी हो सके ।

यह खेती की ही बात नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि जो तगड़ा होता है, जिस के पास पैसा होता है, जिस के पास साधन होते हैं, वह आगे बढ़ जाता है, उसको और भी सहूलियतें मिल जाती हैं, उसको और भी कर्जा मिल जाता है लेकिन जो गरीब होता है वह पीछे रह जाता है, उसको क्रेडिट नहीं मिलता है । जो छोटा किसान होता है उसको या तो क्रेडिट मिलता नहीं है और अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है । जिन के पास कम जमीन हैं वे अगर अपनी जमीन को मार्टगेज कर भी देंगे तो उनको बहुत कम क्रेडिट मिलेगा । मंत्री महोदय ने बतलाया था कि वह क्रेडिट फैसिलिटीज देने के बारे में कुछ कर रहे हैं । अगर ऐसा हो जाता है तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी लेकिन आज हालत यही है कि जो 65 परसेंट किसान हैं वे ऐसे हैं जिन के पास पांच एकड़ से कम जमीन है और उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है । सीड की हालत यह है कि यह तब दिया जाता है जब बुवाई का मौसम चला जाता है, जब बारिश हो चुकती है । कभी सीड मिलता है तो बैल नहीं मिलते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता है और अगर क्रेडिट मिल जाता है तो सीड नहीं मिलता है । अगर ऐसी हालत रहेगी तो एग्रिकलचर की तरक्की हम नहीं कर पायेंगे, जो पैदावार है उसको हम नहीं बढ़ा पाएंगे । हमें चाहिये कि हम छोटे छोटे किसानों की मदद करें ।

हमारे शिन्दे साहब ने कहा है कि 1971 तक हम फूड के मामले में सैल्फसफिशट हो जायेंगे । मैं उनको धन्यवाद दूंगी अगर हम ऐसा हो सके तो । हम इस काम में उनको पूरी पूरी सहायता भी देने के लिए तैयार हैं । फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जो बड़ा, असली और बुनियादी सवाल है उसकी ओर से हमें आंखें बन्द करके नहीं बैठ जाना चाहिये । जो आजकल हालत है उस में अगर आप चाहें

कि देश की पैदावार बढ़े तो यह असम्भव बात है। मैं जितनी भी स्टेट गवर्नमैंट्स हैं चाहे वे कांग्रेस की हैं या अपोजीशन पार्टीज की हैं—इस में पार्टी का कोई सवाल नहीं है—जितनी भी स्टेट्स हैं चाहे बिहार है, बंगाल है या उड़ीसा है, सब को जल्दी से जल्दी यह तय करना चाहिये कि किस तरह से छोटे किसानों की हालत को सुधारा जा सकता है। आज उनकी हालत बहुत खराब है। मैं समझती हूं कि उनकी हालत को सुधारने का एक ही तरीका है, कि भूमि सुधारों को लागू किया जाए, लैंड रिफार्म्स को लागू किया जाए। ऐसा करके ही उनकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है।

जो भी पैदावार होती है उसके बाद सवाल डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। मुझे बार-बार यह कहना पड़ता है कि जोनल बन्दी से हमें बहुत नुक्सान हुआ है। हमारे देश के जो किसान हैं वे भी बोलते हैं और मैं भी बोलती हूं। मैं समझती हूं कि किसानों को इस जोनल बन्दी से बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है। महारानी पटियाला ने कहा था कि उनके यहां भाव बहुत नीचे चले गये हैं जिसकी वजह से किसान लोग मजबूर होते हैं कि कैटल को व्हीट खिलायें। इस जोनल सिस्टम से देश की एकता को भी खतरा है। हमें अगर रिम्युनरेटिव प्राइस किसान को देनी है तो इस जोनल सिस्टम को हमें खत्म करना होगा। यह जोनल सिस्टम चल नहीं सकता है। इससे भारी नुक्सान है। मैं आपको गुजरात की बात बतलाती हूं। वहां कुछ मनी क्राप्स होती हैं। यह कहा जाता है कि उनको न उगा कर अनाज पैदा करो। हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो क्या हालत होगी? ग्राउंड नट, काटन आदि ऐसी चीजें हैं जिन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। अगर जोनल सिस्टम का मतलब यह है कि कुछ लोग, कुछ प्रान्तों के लोग भूखों मरें तो यह हो नहीं सकता है। इससे खराबी ही पैदा होगी। कहीं पर तो तीस और पचास रुपये क्विंटल का भाव हो और कहीं पर डेढ़ दो सौ तो यह चल नहीं सकता है। यह केवल जोनल सिस्टम की वजह से है। इधर उधर के काम करने से काम नहीं होगा। बुनियादी बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। तीनों मिनिस्टर बदल गए हैं। उनके पीछे हम लगे हैं। जो डिफिसिट स्टेट्स हैं उनको हम लाचारी की हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी लाचारी से हम फायदा नहीं उठा सकते हैं। हम भिख-मंगों की सी हालत में रहना नहीं चाहते हैं। कोई नहीं रह सकता है। सारे देश को इसके बारे में सोचना होगा। इतने मात्र से काम नहीं चल सकता है कि चीफ मिनिस्टर्ज की मीटिंगें बुला लें और और अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान लें। मैं इस क्षेत्रीय व्यवस्था का विरोध करना चाहती हूं। किसानों को इससे बहुत भारी नुक्सान पहुंचा है, देश का एकता को भारी हानि पहुंचती है। इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए।

मैं डिस्ट्रिब्यूशन सम्बन्धी एक जरूरी बात की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहती हूं। गवर्नमेंट को हर एक व्यक्ति को खिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए जिन किसानों के पास दो, चार, पांच एकड़ जमीन है, उन को फेयर प्राइस शाप्स से अनाज नहीं लेना चाहिए। इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को यह कह देना चाहिए कि जिन किसानों के पास जोतने की जमीन है, उन को खिलाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं ले सकती है और न ही लेनी चाहिए। इस के अतिरिक्त जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उन की भी जिम्मेदारी न ले, क्योंकि वे लोग बाहर बाजार से अनाज खरीदने में समर्थ हैं। आखिर गवर्नमेंट देश के सब पचास करोड़ लोगों की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है? अगर यह पालिसी तय कर दी जाये, तो

[श्रीमती जयाबेन शाह]

किसान अपने लिए खुद ही कुछ न कुछ पैदा कर लेंगे और अनाज के सम्बन्ध में सेल्फ-सफिशेंट बन जायेंगे । इस समय जो व्यवस्था है, उस के अन्तर्गत कितनी शक्ति और धन अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट आदि पर खर्च किया जाता है । मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करें ।

हम बहुत से काम अपने हाथ में ले लेते हैं, जिस के कारण हम बहुत गड़बड़ में पड़ जाते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि सब कामों की प्रायटी निश्चित की जाये और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये कि जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, उन में से कितने सक्सेसफुल हुए हैं । आज एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में जो दिक्कतें हैं, उन की तरफ ध्यान देना चाहिए । इस देश में जितनी जमीन जोतने लायक है, हम अभी तक उस को जोत नहीं सके हैं । अभी भी कितनी फेलो लैंड पड़ी हुई हैं ।

हमारा यह भी अनुभव है कि जब भी हम कोई इमारत या कारखाना आदि बनाना चाहते हैं, तो उस के लिए अच्छी से अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड ले लेते हैं । यह नीति तय कर देनी चाहिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज की इजाजत के बिना एक इंच भी कल्टीवेबल लैंड किसी अनुत्पादक काम के लिए नहीं ली जायेगी । हम ने यह भी देखा है कि शहर से जरा दूर स्थित ऐसी जमीन को तो नहीं लिया जाता है, जहां अनाज नहीं पैदा हो सकता है, लेकिन शहर के करीब की अच्छी लैंड को, जहां खेती हो सकती है, टेक्निकल ओपीनियन का हवाला दे कर ले लिया जाता है । जैसा कि मैं ने अभी कहा है, पक्के तौर पर यह फैसला हो जाना चाहिए कि जब तक हमारे देश में अन्न की कमी है, तब तक एग्रीकल्चरल लैंड को दूसरे कामों के लिए कम से कम देना चाहिए । आज सारे देश में यह स्थिति है कि अच्छी से अच्छी खेती की जमीन अनुत्पादक कामों के लिए ले ली जाती है । यह बुरी बात है । मंत्री महोदय को इस के बारे में सोचना चाहिए ।

आज देश में बड़े बड़े खेत बनाने की बहुत चर्चा की जाती है । हमें यह बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए । हमारे यहां जो असंख्य छोटे छोटे किसान हैं, उन को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयत्न करना चाहिए । हमें अपने देश में इन्टेन्सिव फार्मिंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए । हम को हर एक खेत में कुंए की व्यवस्था करनी चाहिए और किसान को पानी और सीड आदि की हर प्रकार की सहूलियत देनी चाहिए । अगर हम इस काम के पीछे लग जायें, तो उस का रिजल्ट देखने के लिये हमें 1971 तक नहीं रुकना पड़ेगा, बल्कि हम उस के रिजल्ट बहुत जल्दी देख सकेंगे ।

जहां तक फर्टीलाइजर का सम्बन्ध है, हम उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और उस के कारखाने लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस की मांग को पूरा नहीं कर सके हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि हमारे यहां आर्गेनिक मैन्युर के बारे में क्या काम किया गया है । प्रोग्राम तो तैयार कर के छाप दिये जाते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि उन का पांच परसेंट काम भी नहीं होता है । अगर हम ने अपनी खेती को बढ़ाना है, उस में जान डालनी है, तो हमें आर्गेनिक मेन्युर की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा । अमरीका के लोग भी अब यह महसूस करने लगे हैं कि केवल सिन्थेटिक फर्टीलाइजर से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस के साथ आर्गेनिक मैन्युर को भी जोड़ना पड़ेगा । उन्होंने इतने सालों के बाद यह अनुभव प्राप्त किया है, लेकिन जो चीज हमारे देश में मौजूद है, जिस का शुरू से ही इस्तेमाल

किया जाता रहा है, हम उस को क्यों नहीं अपनाते ? बाहर से फ़र्टीलाइज़र लाने पर जो फ़ारेन एक्सचेंज खर्च किया जाता है, जो फ्रेट लगता है, अगर वह रुपया पानी, सीड, मैन्युर और कम्पोस्ट के लिए दिया जाये, तो हमारी खेती में बहुत तरक्की हो सकती है ।

शूगर के बारे में कहा जाता है कि चूंकि उस का उत्पादन कम होता है, इसलिए उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम सीमेन्ट को डीकंट्रोल करने जा रहे हैं और उस को डीकंट्रोल किया गया । उस से क्या हुआ ? कोई खास नुक्सान नहीं हुआ । अगर शूगर का कंट्रोल खत्म कर दिया जाये, तो मेरे खयाल से हमारे देश में शूगर के बगैर कोई मरने वाला नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव है कि शूगर को डीकंट्रोल किया जाये ।

आज किसान के सामने अपनी खेती के सम्बन्ध में कितनी अनसरटेन्टी है । अगर बारिश ज्यादा होती है, तो उस को नुक्सान होता है और अगर कम होती है, तो उस को नुक्सान होता है । कभी उस को अच्छा बीज नहीं मिलता है और कभी किसी और कठिनाई का उस को सामना करना पड़ता है । इसलिए हमारे देश में क्राप इन्शोरेंस बिल्कुल जरूरी हो गया है । अगर हम अपने देश की खेती और किसान को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें इस दिशा में अवश्य कदम उठाना चाहिए । मुझे आशा है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कोई बिल लाया जायेगा ।

Shri N. Sreekantan Nair (Quilon): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have passed through two years of very serious food crisis. During this period we extended our beggar's bowl to all countries in the world and even the nursery children handsomely responded to our call of distress.

Shri S. Kandappan (Mettur): We cannot live without it, because we are so used to it.

Shri N. Sreekantan Nair: Yet, in spite of their generosity, vast areas of our beautiful land have been devastated by famine and lakhs of our people and our cattle perished.

After 20 years of independence and three five year plans we have to depend upon heavy foreign imports to feed our people. We indulged in tall talk and played with grandiose plan, but we failed to recognise the fact that food is the primary and basic need for existence. We freely borrowed from international markets and supplemented it by deficit financing. We wasted all that wealth on splendours and fineries. We ignored the demands of the peasants and now the county is starving and we are deficit in food.

The cost of living has gone up and the poor man's life has become unbearable. He is finding it difficult to make both ends meet. In October, 1965 the price index of all cereals was 141. It shot up to 195 in March, 1967. The price index of rice during this period went up from 141 to 184. Since then, the Government of India have thrice increased the prices of foodgrains, twice to reduce the food subsidy and once to counteract the increase in prices consequent upon the devaluation of the rupee. Thus, Sir, the common man now finds it difficult to pay for his meagre rations. At the same time, the quantity of rice allowed has been going down. To purchase rice from the black market at Rs. 3 per kilo is beyond his dreams. Therefore, the condition of the common people all over the country, especially in Kerala, has changed from bad to worse.

Last year, the Government of India imported 10.36 million tons of foodgrains at an estimated cost of Rs. 523.31 crores. The loss in the food distribution is expected to be Rs. 130 crores. Therefore, by reducing dras-

[Shri N. Sreekantan Nair]

dically the subsidy on foodgrains and by removing the entire subsidy on fertilizers, the Government of India went to break even on their expenditure account on the food front. Sir, I consider this attitude a blatant betrayal of the people of this country.

Again, with 10.6 million tons of imported foodgrains and 3 lakhs tons of gifts, the Central Government could not maintain a steady supply to meet the needs of the deficit States. This is mainly due to the fact that the surplus States did not allow the Government of India to procure food as they used to do in the past. The Central Government's purchase of rice fell from 15.6 lakhs tons in 1964-65 to 6.6 lakhs tons in 1965-66 and to 4.84 lakhs tons in 1966-67. The Governments of the surplus States do not allow the Food Corporation of India to purchase direct from the peasants. These Governments purchase the grains on their own initiative and sell it on their own terms. They discard and ignore with impunity the directions of the Government of India!

During the last three months the Kerala State did not receive even 60 per cent of their allocated quota of rice, which we were assured we would be getting by the Food Minister and other Ministers on the floor of the House. The rationing system in Kerala has broken down. The poor people of Kerala have been forced to subsist on 3 ounces of rice per day per adult. You know, Sir, that 3 ounces cannot feed even a chicken. While the people of Kerala get only 3 ounces of rice per day at a high price, the neighbouring State of Madras supplies one measure of rice per rupee. Is this not discrimination? How could you expect the people of Kerala to put up with this discrimination?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): Is that the only ration?

Shri N. Sreekantan Nair: We get wheat. But we are not accustomed to taking wheat. Then why don't you give stones? It is as good as eating stone, so far as we are concerned, because we are not accustomed to eating wheat.

The Central Government refuses to give a proper or reasonable price for the rubber which we produce. They take away all the foreign exchange we earn from our cash crops like pepper, cardamom, tea and coffee and fish. Yet, the Central Government plead their inability to direct the surplus States to sell their surplus production to Kerala. Though we pay through the nose, we are treated as beggars and some State Governments take a ghoulish glee in delaying our supplies and tormenting us. They put impediments on our path and make our people suffer much. I do not know why, but it is there.

Is it any wonder that the people of Kerala have begun to regret the part they played in the struggle for independence and the unification of India? Is it any wonder that the people of Kerala have lost all faith in the promises of the Central Government? Now the people of Kerala feel that they cannot take the word of the Government of India and cannot rely on the assurances of the Government of India.

Sir, the spokesman of the Swatantra Party accused the Government of India on six counts. I condemn the Government on six counts, from an entirely different angle, on six other counts. Sir, I condemn this Government for their failure to achieve self-sufficiency in foodgrains and sugar even after 20 years of independence.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): The Kerala Government?

Shri N. Sreekantan Nair: Not the Kerala Government; the Central Government. How can the Kerala Government do it? Secondly, I condemn this Government for their failure to evolve a national food policy. Thirdly, I condemn this Government for their failure to give the land to the peasants. Fourthly, I condemn this Government for their grandiose planning which ignored the minor irrigation projects and fertilizer production. Fifthly, I condemn this Government for increasing the prices of foodgrains and fertilisers. Sixthly, I condemn this Government for pampering the surplus States and consigning the deficit States to food riots.

Now, Sir, I have six demands to make on the Government of India. They are the following. Firstly I demand that the cuts on the food subsidy and the fertilizer subsidy should be restored. Secondly, I demand that the Food Corporation should be directed to finalise the conditions of employment of the employees of the Food Department and ensure that the deputationists and new recruits do not get preference over them. Thirdly, I demand that the Central Government should take direct control over the levy and the distribution of the excess grains of the surplus States. Fourthly, I demand that adequate loans be made available to the deficit State of Kerala to expand their food production to the utmost limit. Fifthly, I demand that one of the fle State farms to be set up with Russian help should be located in Kerala. Lastly, I demand that adequate rice supplies should be rushed to the State of Kerala to prop up the rationing system, which is now in utter collapse.

As for the plea that there is overall shortage of rice in the world market, may I bring to the notice of the House —I can even lay it on the Table of the House—a letter to our Food Minister from Mr. William J. Drought to supply the necessary rice from USA provided we are prepared to give the money?

Mr. Deputy-Speaker: You may pass on that letter to the hon. Minister.

Shri N. Sreekantan Nair: Yes, Sir. Now I seek the intervention of the hon. Minister, through the Chair, to see that the poor State of Kerala receives the badly needed foodgrains without delay.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब खेती और अनाज पर चर्चा होती है तो सब से पहले देश के किसान की तस्वीर हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है । कुछ लोग किसान को एक वर्ग के रूप में भी कहते हैं । परन्तु मेरा कहना यह है कि किसान तो राष्ट्र है, वही जनता है क्योंकि उस की 85 प्रतिशत आबादी देश में बसती है । वर्ग 15 प्रतिशत में कोई हो सकते हैं । 85 प्रतिशत को वर्ग कहना उस के साथ अन्याय है ।

श्रीमन, इस के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र की दो आवश्यकताएं होती हैं—एक भोजन, दूसरी सुरक्षा । इन दोनों आवश्यकताओं की जिम्मेदारी किसान अपने ऊपर लेता है और कहना तो यह भी होगा कि आज हमारी भूखी और कृशकाय राष्ट्र-माता के लिए दो पदार्थों की जरूरत है—खून और पसीना । और किसान ही वह सच्चा सपूत और वीर है ; वही ऐसा वफादार है कि जो अपना पसीना भी देता है और खून भी देता है । शांति के समय में किसान खेत में खड़े होकर हल और फावड़ा हाथ में लेकर अपना पसीना बहाता है और लड़ाई के समय वही किसान रणक्षेत्र में जा कर अपना खून भी बहाता है । इस आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान का सम्मान देश में होना चाहिए और किसान को सब से बड़ा प्रिविलेज्ड क्लास देश में समझा जाना चाहिए । परन्तु यहां उलटा हो रहा है और हो यह रहा है कि आज देश में सब से ज्यादा किसान की उपेक्षा है । सरकार की अफसरशाही

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

किसान को बहुत नीची निगाह से देखती है। दफ्तरों में उसे धक्के लगते हैं और सरकार की बात आती है तो किसान तो यह अनुभव करता है कि देश में कोई सरकार ही नहीं है, देश में कोई कानून ही नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई लोक तंत्र भी नहीं है। अगर देश में कोई तंत्र है तो पैसा तंत्र है। देश में कोई सरकार है तो पैसा सरकार है। देश में कोई कानून है तो पैसा कानून है। देश में कोई अदालत है तो पैसा अदालत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम सब यह चाहते हैं कि देश का सम्मान रहे तो किसान का सम्मान करना होगा। अगर किसान का सम्मान नहीं करेंगे तो देश के सम्मान पर ठोकरें लगती रहेंगी। आज देश के बड़े बड़े लोग विदेशों में जा कर मुटठी मुट्ठीभर अनाज मांग रहे हैं। क्या यह देश का अपमान नहीं है? इस अपमान को किसान बचा सकता है और किसान तभी बचा सकता है जब किसान का देश में सम्मान हो।

इस के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्रालय की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि सिंचाई का रकबा हर साल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कागजों में दिखाया जाता है है सिंचाई का रकबा, इस में सिंचाई का पानी तो बढ़ता नहीं है। रकबा बढ़ने का मतलब यह है कि सिंचाई का कर बढ़ जाता है। सरकार के कोष में अधिक पैसा जरूर आने लगता है लेकिन सिंचाई का पानी नहीं बढ़ता। मैं आप को अपने तजुर्बे के आधार पर कहना चाहता हूं। पूर्वी जमुना नहर हमारे यहां है। वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ तीन पश्चिमी जिलों को सींचती है। यह नहर सैकड़ो साल पहले बनी थी और उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार बनी थी। उस समय की आवश्यकता यह थी कि सूखे से बचाव के लिए नहर निकली थी। सघन उत्पादन के लिए वह नहर बिलकुल बेकार है। उस समय बहुत थोड़ी जमीन पर खेती होती थी।

इस के साथ साथ मैं यह भी आप से कहना चाहता हूं कि इन सैकड़ों सालों में सिंचाई का क्षेत्र बहुत बढ़ गया, रकबा बहुत बढ़ गया, सिंचाई के रेट कई गुना बढ़ गए, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन की लूट खसोट भी जमाने के साथ पहले से बहुत ज्यादा हो गई, यानि अपटूडेट होगई मगर कुछ नहीं बढ़ा है तो वह पानी नहीं बढ़ा है। आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां सिंचाई विभाग के अधिकारी जिस गांव में सारी फसल भर पानी नहीं मिलता वहां से भी सिंचाई कर वसूल करते हैं। एक गांव के लोगों ने बताया कि हमने नहर के अधिकारी को चैलेंज किया कि जब से हम ने बीज बोया है और जब काटा है, इस बीच अगर राजवाहा आया हो? आप अपना रिकार्ड देख लें। एक बूंद भी पानी आया हो तो सिंचाई कर वसूल कर सकते हो, लेकिन जब पानी आया तो सिंचाई कर क्यों वसूल करते हो? लेकिन अधिकारी ने कहा कि ऊपर का अर्डर है; हम पैसा जरूर लेंगे और सारे गांव से सिंचाई कर लिया गया जब कि सच्चाई यह है कि सारी फसल भर एक बूंद भी पानी नहीं आया। तो इस से बड़ा अत्याचार और व्यूरोक्रेसी और क्या हो सकती है?

इस के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हमारे यहां स्वतंत्रता का आन्दोलन चल रहा था तो स्वतंत्रता आन्दोलन के हमारे मंचों से कांग्रेस कार्यकर्त्ता और नेता बड़े जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि हमारी गंगा और जमुना, फिर पैसा किस बात का लिया जाता है? हमारी ही नदी, हमारा ही पानी, पैसा किस बात का? आज वह किसान बड़ी संख्या में जीवित

हैं और उन के कानों में इन नेताओं के यह शब्द गूंज रहे हैं और वह कहते हैं कि यह जो अंग्रेजी जमाने के गंगा और जमुना के पंडे थे वह आज के नये पंडों से बहुत बेहतर थे। वह दक्षिणा लेते थे तो पानी तो देते थे। लेकिन आज का गंगा और जमुना का पंडा हम को पानी भी नहीं देता और हम को लूट भी लेता है। दक्षिणा भी कई गुना बढ़ा दी। आज हमारे यहां की यह फीलिंग है।

अब दूसरी बात सुनिये, हमारे यहां के लोग यह महसूस करते हैं कि आज कल सरकार फैमिली प्लानिंग पर बड़ा जोर दे रही है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि फैमिली प्लानिंग के साथ साथ कनाल-प्लानिंग भी हो रही है। हमारे यहां की जो नहर है, वह सूखी होने के कारण बोझ कहलाती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश में एक श्रीमती जी मुख्य मंत्री थीं, जो पैराशूट से हां उतार दी गई थीं, हालांकि वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली भी नहीं थी। उस समय पुराने ख्याल के लोग इस नहर के प्रश्न को लेकर तरह तरह की बातें कहा करते थे। मैं यह कह रहा हूं कि हमारे यहां नहर है, लेकिन सूखी है, बिलकुल निकम्मी है हमारे यहां के मुजफ्फर नगर जिले के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक दफा मि० के० एल० राव को अपने यहां बुलाया था। मि० राव यहां नहीं बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी खाद्य मंत्रालय पर बहस हुआ करे तो कम से कम सिंचाई मंत्री को यहां पर अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। अच्छा तो यह हो कि इन दोनों विभागों को मिला दिया जाय, लेकिन अगर मिलाया नहीं जा सकता था तो कम से कम उनको यहां अवश्य उपस्थित रहना चाहिये था। तो उनको वहां बुलाया गया, एक लाख किसानों को वहां पर इकट्ठा किया गया, राव साहब के साथ काफ़ी रोना-पीटना हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री और चीफ़ इंजीनियर भी वहां पर उपस्थित थे, उसके बाद राव साहब वहां पर कुछ वायदे करके चले आये, लेकिन पता नहीं उसके बाद उनके कानों पर जूं भी रेंगी हो, या उनके वायदों की कोई प्रतिक्रिया हुई हो। एक प्रतिक्रिया जरूर हुई—जो वहां पर कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने कि राव साहब को बुलाया था, इतना रुपया खर्च किया था, किसानों को इकट्ठा किया था, उनको बाद में किसानों से निबटना मुश्किल हो गया और बाद में स्थिति यह बनी कि उनको कहना पड़ा कि हम इस कांग्रेस में नहीं रहना चाहते और वे कांग्रेस छोड़ कर हमारे पास आ गये। इससे हम को तो फायदा हो गया। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर्ज जाते हैं, लोगों से वायदे कर आते हैं लेकिन उसके बाद करते कुछ भी नहीं हैं। यही हालत यमुना की अन्य नहरों की है—हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से इनका बड़ा गहरा सम्बन्ध है, इसलिये इन क्षेत्रों की जनता का सामूहिक हित इसी में है कि पहाड़ों में किसाऊ नामक जगह पर यमुना का शीघ्र एक बांध बनाया जाय। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार इस काम के लिये 150 करोड़ रुपया केन्द्र से मांगती है, इस लिये मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को इस राशि की व्यवस्था कर के इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सुन कर आपको अचम्भा होगा कि नहरी क्षेत्र में सरकार बिजली के कूएं नहीं लगाने देती है। इस पर सरकार ने फासले की पाबन्दी लगा रखी है। पानी आप दे नहीं सकते, नहरों से पानी देने की आप गारन्टी नहीं दे सकते और किसान अगर खुद पानी की व्यवस्था करना चाहे, तो उसको भी आप करने नहीं देते। आज के युग में ऐसी बातें चलें—यह बड़ी आश्चर्यजनक हैं। किसानों को स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह जहां भी बिजली के कूएं बनाना चाहता है, उसको बनाने दिया जाय। मैं

[श्री रघुबीर सिंह शास्त्री]

चाहता हूं कि यह पाबन्दी हटाई जानी चाहिये ।

सरकार के जो ट्यूबवेल्ज लगे हुए हैं, उनकी दुर्दशा की भी आपको जानकारी होनी चाहिये । कई कई दिन तक वहां बिजली नहीं आती है, मोटर का एक पुर्जा खराब हो जाता है तो महीनों ट्यूबवैल खराब पड़ा रहता है । मेरे इलाके में ऐसे अनेकों ट्यूबवेल हैं जो वर्षों से खराब पड़े हैं और उनकी मुरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

अब मैं एक नीति सम्बन्धी बात कहता हूं, हो सकता है कि मेरे साथी कुछ राजनीतिक लोगों को यह बात अच्छी न लगे । आजकल लगान बन्दी का आन्दोलन चल रहा है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ राजनीतिक दबाव में आ कर लगान बन्दी की घोषणा की है । मैं उत्तर प्रदेश के अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता हूं कि हमारे किसान इस बात से चिन्तित हैं—वे कहते हैं कि लगान माफ करके वे उसका दूसरा विकल्प क्या करेंगे । ज़मींदारों के शोषण की जो बात कही जाती है, वह अब वहां नहीं है, ज़मींदारों का शोषण वहां समाप्त हो चुका है, वहां पर कोई भी बड़ा किसान नहीं है । सरकार ने सीलिंग लगा दी है कि 12 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी किसान के पास नहीं होगी । सरकार ने तो 12 एकड़ का सीलिंग लगाया है, लेकिन कुदरत तो इस सीलिंग को और नीचे ले जा रही है । एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास 10 एकड़ भी जमीन हो । अगर किसी के पास है भी, तो उसके चार-पांच बेटे इन्तजार कर रहे हैं कि वह कब बंटने में आती है । लगान बन्दी की बात एक राजनीतिक बात है, देश के राजनीतिक लोग और सरकार के लोग जरा सोच-समझ कर कदम उठायें । किसान चाहता है कि मुझ से लगान चाहे एक का दो रुपया ले लो, लेकिन सुविधायें दो, पानी दो, अच्छा बीज दो, खाद दो । आज उसे हर चीज रिश्वत से, ब्लैक मार्केट से लेनी पड़ती है । पानी ब्लैक में लेना पड़ता है, खाद ब्लैक में लेनी पड़ती है, ट्रैक्टर भी ब्लैक में लेना पड़ता है । बम्बई और कलकत्ता के लोग दिल्ली से ट्रैक्टर खरीद कर फिर ब्लैक में बेचते हैं । मैं एक छोटा सा किसान हूं, बहुत बड़ा किसान नहीं हूं, मेरे यहां एक कच्चे बीघे में 6 मन गेहूं पैदा हुआ है, 300 रु० मुझे एक बीघे से आमदनी हुई है, अगर 300 रु० में से 1 रुपया सरकार ले ले, तो कौनसी बड़ी बात है । इसलिये मैं चाहता हूं कि लगान माफ न किया जाय, किसान लगान देने को तैयार हैं, लेकिन उस रकम को किसानों पर ही खर्च किया जाय, उसको सुविधायें देने में खर्च किया जाय । किसान के खेत में पैदावार हो तो लगान उसे नहीं अखरता ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं, मेरे ग्रुप के 15 मिनट हैं, वे मुझे पूरे मिलने चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट से ज्यादा नहीं है ।

We have to finish this today. Just one more minute. That is all.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : सरकार की रिपोर्ट से पता चलता है कि डेरी का बहुत विकास हो रहा है, इतना दूध का चूर्ण बन रहा है, मक्खन बन रहा है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, डेरी विकास का मतलब यह मालूम पड़ता है कि दिल्ली जैसे शहरों के आस पास सैकड़ों मील दूर तक जो देहात फैले हुए हैं, उनके किसानों के बच्चों के मुंह से दूध छीन कर दिल्ली लाया जा रहा है । मैं कहता हूं कि सरकार शहर वालों को दूध पिलाना चाहती है तो पिलाये, लेकिन सरकार अपनी गऊशालायें खोल कर पिलाये, स्वयं दूध के पशु पाले, वहां के लोगों का दूध यहां ला कर न पिलाये ।

एक बात मैं गन्ने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। गन्ने का मूल्य जो किसान को दिया जाता है वह बहुत कम है। आज लकड़ी का मूल्य भी गन्ने से बहुत ज्यादा है, हमारे यहां हर चीज बड़ी तेजी से मंहगी होती जा रही है, लिविंग इन्डेक्स बढ़ता जा रहा है लेकिन गन्ने का मूल्य पहले जो प्राइस थी, उसी के आस पास रखा जाता है। इस पर फिर से आपको विचार करना होगा तथा गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिये। कम मूल्य होने के कारण इस फसल में मिलों को गन्ना नहीं मिला।

एक बात मैं खाद के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां रसायनिक खाद का प्रयोग बढ़ रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि यह कई गुना बढ़ा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान को आज पता नहीं है कि किस मिट्टी में नाइट्रोजन चाहिये, किस में फासफोरस चाहिये और किसमें पोटाश चाहिये। इसमें अन्धा धुन्ध खाद डालने से बड़ी हानि होती है। इसके लिये लेबोरेट्रीज खोलनी चाहिये, जो किसानों को सलाह दें। जब तक लेबोरेट्रीज नहीं खुलती हैं, तब तक एग्रीकल्चर कालेजज की लेबोरेट्रीज को काम में लाया जाना चाहिये।

गोबर की खाद की तरफ़ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। गांवों के लोगों को वैकल्पिक ईंधन—कोयला वगैरह दिया जाय। कोयला गांव में पहुंचेगा तो गांव के लोग गोबर जलाना बन्द कर देंगे। जब कोई चीज जलाने के लिये नहीं मिलेगी तब गोबर ही जलायेंगे। सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिये तथा गोबर जलाने को अनुत्साहित करके कोयले का जो ईंधन है, जो वैकल्पिक ईंधन है, वह उनको दिया जाना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry, I cannot allow today.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : एक बात मैं पंचायतों के सम्बन्ध में कहना चाहता था। आप आज्ञा नहीं देते हैं, तो यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद

Shri Gadilingana Gowd (Kurnool): I do not know Hindi, nor do I know English so well as to express my views with all the force that the subject needs. Nevertheless, with a view to seeing that the majority of the members of this hon. House understand me what I submit to you, I venture to speak in English alone.

I have heard one of the hon. members of this House submit to you that, in America, in spite of only 7 per cent of the population being farmers, they produce foodgrains not only to feed the people of their own country but also to send them abroad. But in our country, where 70 per cent of the people are farmers, we have not been able to produce enough to feed at least 70 per cent, the agriculturists themselves. What are the reasons for this state of affairs in our country? My leaders have submitted to you during the general discussion on the Budget and also on the Demands for Grants that it is due to the faulty food policy of the Government. Now I want, by giving instances, to prove that it is wholly on account of the inadequate assistance to the farmers and on account of the ineffective implementation of their schemes that the present food scarcity has been created by the Government themselves.

Now we have to examine this. There must be either of these reasons for this state of affairs: either the ryots are not willing to produce more or the Government's schemes are not properly implemented. I am a farmer myself, and I have been cultivating my lands myself with the assistance of some employed labourers. So, I know their difficulties. It is human instnct to earn more and to be very happy by producing more and earning more. But what is to be done? The Government policies to benefit the farmers are not reaching them at all. I shall illustrate this point by taking item by item.

[Shri Gadilingana Gowd]

Government have constructed several projects after spending crores of rupees, as for instance, the Tungabhadra, project, the Nagarjunasagar project, the Bhakra-Nangal project and several others. In the First Plan, they had spent Rs. 6159 lakhs, in the Second Plan Rs. 15,266 lakhs, in the Third Plan Rs. 40,275 lakhs and in the year 1966-67 they have already spent Rs. 15,580 lakhs on schemes to increase food production. But I would submit that even after they have spent crores of rupees, there has not been complete development. You will be surprised to know that the Tungabhadra project was completed in 1954, but although it is now thirteen years since then, not even 50 per cent of the area registered under the ayacut has been developed. I was a member of the First Lok Sabha and in 1954 I had spoken about this very point at that time. If you will kindly refer to c-3196, Vol. 9, Part II of the Lok Sabha Debates, you will find that is what I had stated at that time:

> Now, coming to Tungabhadra project crores of rupees have been spent on the construction of this project, but the lands have not been reclaimed. I see from the Progress Report of the Planning Commission that only 2000 acres have been brought under cultivation instead of 12,600 acres which was expected to be brought under cultivation. This is due to the fact that the Government has not offered.....

श्री हुकमचन्द कछवाय (उज्जैन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्रिमंडल का कोई मंत्री उपस्थित नहीं है । जो राज्य मंत्री उपस्थित हैं वह भी कुछ पढ़ रहे हैं । भाषण को नहीं सुन रहे हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: This is not proper. Let not the hon. Member disturb the proceedings of the House. We are hard pressed for time.

Shri Annasahib Shinde: It is very unfair.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadswamy): I am also present here.

Shri Gadilingana Gowd: I had further said:

> "...This is due to the fact that the Government has not offered facilities to agriculturists by granting loans to reclaim lands. Loan applications have been pending with the Government for several months, in some cases for nearly two of three years. I hope that the Government take interest and take necessary steps to see that these applications are disposed of at least within three months after receipt of application by the Government."

This was what I had submitted about thirteen years ago. I have come here today to submit to you a similar complaint. Of course, I do not want to make any vague general remarks, because then the hon. Minister might say that it is not capable of being verified. Therefore, I would like to quote from the letter of the Collector, Kurnool in this regard. I am a member of the local advisory committee of the Tungabharda project. Therefore, the notes were furnished to us by the Collector.....

Shri Sonavane (Pandharpur): The discussion on the Demands of the Irrigation and Power Ministry is already over.

Shri Gadilingana Gowd: It is very relevant, because unless we irrigate the lands, we cannot get enough food, without water, how can we produce more food?

The collector has said that an extent of 37,165 acres as wet and 1,08174 acres under irrigable dry is localised in Andhra area. In other words, 108,174 acres has been registered as ayacut under irrigable dry.

> "An extent of 39,190 acres including non-ayacut has been developed as wet and an extent of 50,746 acres including non-ayacut has been developed at I.D. upto the end of April 1966".

It is vrey clear from this that only one-third of the registered ayacut has been developed. What is this due to? I submit the ryots have not got any assistance from Government for reclaiming their lands. But Government say that the ryots are not cooperating.

Loans are given by Government through three agencies: the Revenue department, panchayat samitis and cooperative societies. As regards the functioning of the Revenue department, I have to submit that they take years to grant loans. Here also I would like to read a portion from my speech in this House in 1957 (March), just after the elections in which I did not get re-elected. In saying all this, I do not want the Minister to misunderstand me and think that I want all this assistance for myself. I only want that the ryots should be helped.

Shri Inder J. Malhotra: He is in a position to help others.

Shri Gadilingana Gowd: That is my intention.

This is what I said then; I quote from the debates of 26 March 1957:

> "According to the Land Improvement Loans Act, loans are given to agriculturists for improving their land. About 4½ years ago, I myself put in a petition for some loan for improving my land. After one year, I got an endorsement from the Collector saying that my loan application was misplaced and they wanted another application"—

I got the endorsement after one year!....

> "The correspondence went on and after two years, I was asked if I would accept a loan of Rs. 10,800 whereas I had asked for about Rs. 15,000 for purchasing a tractor and for constructing a tank bund. As there was already 2½ years delay, I thought I could get at least Rs. 10,800 and utilise it for constructing the bund. Unfortunately, after one year's correspondence, again I was asked whether I would accept Rs. 5,000. This was after 4 years of my application. Then I wrote to the Government strongly saying that if it was not possible for the Government to give me Rs. 10,800, as they said earlier, my loan may be rejected. I have expressed it in strong words to impress upon Government the necessity to see that the loan applications are not delayed for such a long time. It is now nearly 4½ years and I have not yet received any reply. I will not be surprised if I receive an endorsement saying my loan is rejected taking my last sentence. The last sentence was put in only with a view to express my strong feelings against such a long delay."

This was in 1957. Unfortunately, after that I had no opportunity to represent the matter to you. The loan application was rejected and the reason given was that 'the applicant does not need the loan.' Now I am bringing this matter again before you after 11 years. This is the way the Revenue department functions and gives loans.

Coming to the panchayat samitis, they say they have been decentralised

[Shri Gadilingana Gowd]

and therefore we have got more facilities to help mostly the ryots. But let me tell the House what the position is in this respect. To get a loan of Rs. 500 from a panchayat samiti, one has to spend Rs. 150 by way of bribe to the village officer, village level worker and so on. (*Interruption*). Here again I want to make it very clear that it is not my case that I am pleading; I only want that help should be given to the ryots for their agricultural operation. I say all this here because only now I get an opportunity to represent these difficulties of the ryots before this House. When I am saying all this, I am not exaggerating at all. I was myself a member of a panchayat samiti for a long time.

As regards pumping sets, they do not have any confidence in the ryots. They fear that if money is given to the ryots, they would not purchase the pumping sets. Therefore, they want us to purchase in some company with which they have got dealings. The concerned extension officer will have some understanding with them. If they are sold at Rs. 1,200 in the market, we have to pay Rs. 1,700. There are also instances where these company people issue vouchers without supplying the pumping sets at all.

Similarly, Government gives a subsidy of Rs. 750 for wells. They say: "You are getting Rs. 750 free. Why not you give us Rs. 250? What are you going to lose?" This is how they ask. They are now very bold. Ten, 15 years ago they were afraid of their superior officers, now they are not at all afraid, because the Government is entrusting them with the collection of defence bonds, saving certificates etc. He says, "The Collector has fixed a target for me, therefore you must give me", without any fear of any superior officer. This is the state of affairs as regards loans.

Co-operative societies also give loans. The by-laws say that they should not give more then Rs. 350. A friend on the other side was also president of this state society there, and I am sure he will not contradict me. They could not give a loan of more than Rs. 350. I am told that now it has been increased to Rs. 500. Supposing a ryot has got four or five acres of land, if he gets only Rs. 350, what is he to do with it? He will have to spend it on something else, and food production is thus prevented.

Another important point is this. If 85 per cent of the people repay their loans punctually and if there are arrears in respect of only 15 per cent for whatever reason, the whole society will not get any loan at all. This is the state of affairs.

Coming to co-operative joint farming societies, I had the opportunity of going through the literature of so many other countries, including our Government schemes also. They do not at all function properly. It should not be misunderstood that I am saying this because I belong to the Swatantra Party and I am opposed to this co-operative joint farming. In 1959 I got the farming society registered, but it took me 18 months, I wanted all the benefits of this scheme to produce more. Till I threatened the Registrar that I would bring it to the notice of the Central Government the society was not registered. Having been registered under these circumstances, not a single pie has been given to that society, but that society is still working. I do not want any loan for that society, it can stand on its own legs.

Because our Co-operation Minister is here, I would like to refer to processing and marketing societies. I am the President of the Adoni Co-operative Marketing Society, for which Government has given Rs. 4 lakhs for construction of a ginning factory and oil expellers. They have not provided any working capital. Thus, the society is losing Rs. 30,000 every year. What it has earned in other business it is now losing because we have entered into a contract with Government for minimum supply of electricity charges.

Though I have some two or three more points, I shall close now since my time is up.

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : असली बात शुरू करने के पहले एक दुख की बात मैं यह कहूंगा कि संयोग से हमारे दोनों खाद्य मंत्री आज ऐसे हैं कि दोनों मिल कर भी कछवाय जी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । अगर ये अपने ही जैसे आदमी बनायेंगे तो अच्छी बात नहीं कही जाएगी । कछवाय जी जैसे न बना सकें तो कम से कम हमारे जैसे लोगों को तैयार करें खिला पिला कर । अपने ही जैसे करेंगे तब तो मैं इन्हें सफल मंत्री नहीं कहूंगा और जैसे आज इन्हें कछवाय जी नहीं देख सके, वैसे आगे भी नहीं देख सकेंगे ।

हमारे यहां सब से बड़ी विपत्ति यह रही है कि हम हमेशा विपत्ति में पड़े रहे हैं और सार्वकालिक आपत्ति में फंसे रहने के कारण कभी भी, एक बार भी हम लोग कोई लौंगरेंज प्लानिंग नहीं कर सके हैं । हम बराबर एमरजेंसी में पडे रहे हैं । इस कारण से जो हमारा प्लानिंग होता है वह कागजों पर चाहे जितना दुरुस्त हो किन्तु काम में जाकर असन्तुलित हो जाता है । इसलिए मैं सब से पहली बात यह कहूंगा कि कृपा करके आप लोग यह सोचें कि कैसे सन्तुलित प्लान पांच बरस के लिये , सात बरस के लिये, दस बरस के लिए बनाया जाये, न कि केवल इस साल की आपत्ति को दूर करने के लिए इसको किया जाए । अभी तक यही होता रहा है । जब आप सन्तुलित प्लान लौंगरेंज पर करेंगे तब केवल भोजन की, आहार की बात सोचने से काम नहीं चलेगा उसके साथ साथ कई और चीजें लगी हुई हैं और जब सब का सन्तुलन होगा तभी आहार की भी व्यवस्था हो सकेगी ।

फूड के साथ साथ हमें फौडर भी चाहिये क्योंकि हमारे यहां बैल-शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा । फौडर के साथ साथ फर्टिलाइजर भी चाहिये और फर्टिलाइजर दोनों तरह का चाहिये, आर्गनिक भी और इनआर्गनिक भी । केवल इनआर्गनिक से काम चलने वाला नहीं है । आर्गनिक में जो कठिनाइयां हैं उस पर मैं बाद में कहूंगा ।

फर्टिलाइजर को बचाने के लिये हमें फ्यूल भी चाहिये, जलावन भी चाहिये नहीं तो आर्गनिक फर्टिलाइजर जो है वह जलता चला जाएगा । फ्यूल का बन्दोबस्त करने के लिए जंगल से लकड़ी लाई जाए और साथ साथ हम कोयले के बन्दोबस्त भी हम गांवों में करें ।

एक और छोटा सा सुझाव मैं इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं । इस पर भी हमें बहुत जोर देना होगा । गांव गांव में हम ऐसे वृक्ष लगाने की व्यवस्था करें, गांव वालों को हम इसके बारे में बतायें कि ये ऐसे वृक्ष हैं जो खेतों के आलों में लग सकते हैं और जो जल्दी बड़े हो सकते हैं और जलावन की लकड़ी भी काफी हमें इनसे मिल सकती है । इसके साथ साथ यह भी हम उनको बतायें कि इनके पत्तों से खेत को लाभ पहुंचेगा और छाया से कोई फसल बरबाद नहीं होगी । दो एक नाम मैं आपको बता सकता हूं । जैसे जैत है और अगर इमारती लकड़ी भी लेनी है तो शीशम है । अगर वन विभाग ऐसा कोई पेड़ निकाल सके जिसमें कोई फल भी मिल जाए तब सोने में सुगन्ध सुहागे की बात हो जाएगी ।

इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि किसान को हमेशा फाइनेंसिस की कमी रहती है और इस कमी को कैसे पूरा किया जाए । उसकी आर्थिक शक्ति अगर बढ़ाई नहीं जाएगी तो आपकी सारी स्कीमें धरी की धरी रह जाएंगी क्योंकि वह साधनों के अभाव में काम ही नहीं कर सकेगा और जितनी दूर तक आप उसे ले जाना चाहेंगे वह नहीं पहुंच सकेगा ।

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

उसको और भी सुविधायें चाहियें । उसको बीज चाहिये, बैल चाहिये, खाद चाहिये । जहां तक खाद का सम्बन्ध है मैं बहुत जोरों से आपसे कहूंगा कि अभी तक इनआर्गेनिक पर आपका जोर बहुत ज्यादा रहा है । अपनी जगह पर यह ठीक है । किन्तु हमें यह नहीं भूलना होगा कि इन-आर्गेनिक खाद के मामले में हम अमरीकी पैटर्न पर चल रहे हैं । अमरीका में चाहे जितने गण हों लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अमरीका बहुत नया देश है तीन चार सौ वर्ष से वहां खेती चली है, पहले से नहीं चली आ रही है । इसलिए वहां पुराने जंगलों को काट कर पुराने मैदानों में जो खेती हो रही है और वह अभी तक पुरानी शक्ति के बल पर हो रही है और वहां भी लोग अब इस कमजोरी को देखने लगे हैं कि यदि खेत की शक्ति बनाये रखना है तो उनको आर्गेनिक खाद चाहिये ही उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता ।

15 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may kindly resume his seat now. There was a proposal that we should sit beyond 6 P.M. today which has not yet been accepted. In case we sit beyond 6 P.M. today he may resume his speech at 6 P. M., otherwise tomorrow.

We shall now take up Private Members' Business.

श्री देवराव पाटील (यवतमाल) : क्या आज हमें छः बज के बाद बैठना है या नहीं ?

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member was not present when this issue was discussed. Please resume your seat.

15.01 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTH REPORT

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से जो सभा में 12 जुलाई को पेश किया गया था सहमत है ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That this House agrees with the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th July, 1967."

The motion was adopted.

RESOLUTION *RE*: TIBET—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: We shall now resume the Private Members' Resolution on Tibet. Before we take up the debate, I wish to inform the House that the time allotted for it was two hours. The time consumed is 1 hour 35 minutes, and the balance is 25 minutes.

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): Please extend the time.

Mr. Deputy-Speaker: That is the question. I have received a number of requests from many hon. Members including Shri Chatterjee, Shri Banerjee and others. What is now to be done?

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : एक घंटा समय बढ़ा दीजिए और सब सदस्यों पांच पांच मिनट दिए जायें ।